






आज दिनांक 23.06.18 को पंचायत
 भवन हेडमा में वनाधिकार अधिनियम 2004
 एवं नियम 1908 के तहत मौजा - हेडमा
 अन्तर्गत 132/33 के भी ग्रीड सब स्टेशन
 निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु
 ग्राम समा अध्यक्ष श्री रामनाथ प्रधान
 की अध्यक्षता में ग्राम समा की बैठक
 की गई जिसमें निम्नलिखित हस्ताक्षर
 किए हुए ग्रामीण, वनाधिकार समिति
 सदस्य एवं अन्य कर्मी उपस्थित हुए -


1. अंचल अधिकारी कुदडेग  23.06.18


1. ग्राम समा अध्यक्ष, हेडमा  राम प्रधान

2. राजस्व कर्मचारी डोहरका - IV  R.P. ...

3. वनाधिकार समिति अध्यक्ष -  ...

4. Subhram Manshi 

5. वनाधिकार समिति सचिव - 

6. मधुकर ठुसरा 

7. लक्ष्मण मांकी

8. विक्रमकर मांकी


9. राजुनाथ मांकी

10. धादुल मांकी

11. शिव मांकी

(11) बाबुगुणी देवी

(12) मोनिका देवी



13) शीतल लकड़ा

14) James Key'or

15) जवाहर लाल नेहरू

16)

17) ~~James Key'or~~

18) ~~James Key'or~~

19) मु. प. न. के. ल. रं.

20) राजाधर धुवा

21)

22) पानर धुवा

23)

24) रानी किरी

25) मलीहदास तिकी

26)

27)

28)

29)

30)


31)

32)

33) राजाधर लकड़ा

रानी किरी

मलीहदास तिकी

 सुनील लकड़ा

जयपुर लकड़ा

विनेश्वर मोदी

जयपुर धुवा

सुनील मोदी

जंगल राय मोदी

सुरेश तिकी

35) राजाधर लकड़ा

जयपुर लकड़ा

राजेश्वर देवी

राजेश्वर मोदी

प्रस्ताव 1. - वनाधिकार समिति देहमा
 132/33 के भा. ग्रीड सब स्टेशन
 निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गए
 भूमि जिसका विवरण निम्नलिखित है -
 मोजा चाना 8 खस्ता प्लॉट रकबा किसम
 देहमा 19 693 12931 4.05 ए० जंगल 8

19 693 12940 3.10 ए०
 की जांचोपरान्त प्रस्ताव ग्राम समा में
 रखा गया एवं विचार विमर्श किया
 गया।

प्रस्ताव 2. सर्वसम्मति से ग्रीड सब स्टेशन
 निर्माण हेतु भूमि के दावे को पारित/
 अनुमोदित किया जाता है।

ग्राम समा देहमा सर्वसम्मति
 से निर्णय लेती है कि अनुमोदित
 दावे को अनुमण्डल स्तरीय समिति
 को भेजी जाए।

अन्त में अध्यक्ष के सचयक
 रापन के साथ समा की कार्यवाही
 समाप्त की जाती है।

रापन
 ग्राम समा
 देहमा
 रापन प्रधा